News item under the caption 'Massive Hotel Bill. no one wants to pay

1255. SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the 'Times of India' dated the 19th December, 1981 under the caption 'Massive Hotel Bill, No one wants to pay';

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have permitted any foreign women to telecast on a new year's eve function and what are the details in this regard; and

(d) whether any contract was signed by her which included for her stay in Five Star Hotel in a special suite?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir. The news item published in 'Times of India' dated 19-12-1981 was duly contradicted by another news item by the Times of India entitled 'Doordarshan did not book a suite' dated 22-12-1981.

(b) to (d) Shrimati Rani Dubey, an India-born British National was booked for compering the new years eve programme telecast by Delhi Doordarshan on 31-12-1981. She was offered a contract as is done in the case of artists booked by Doordarshan. The contract entered into with her did not provide for any payment of charge on account of her board and and lodging.

दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों को विज्ञापनों का दिया जाना

1256. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न भाषाओं के उन दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें 1977 से दिसम्बर 1981 तक विज्ञापन दिये गये थे तथा उसमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ; और

(ख) विज्ञापन देने का आधार क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न भाषाओं के उन दैनिक समाचार पत्रों, जिन्हें 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकारी विज्ञापन दिए गए थे, के नाम संलग्न विवरण परिशिष्ट में दिए गए है ।

वैयक्तिक समाचारपत्रों को भुगतान की गई राशि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा संबंधित समाचारपत्रों के बीच गोपनीय समझी जाती है ।

(ख) समाचारपत्रों को विज्ञापन एक अक्तूबर, 1980 से लागू विज्ञापन नीति, जिसे सदन की मेज पर पहले ही रखा जा चुका है, में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रिलीज किए जाते हैं । विज्ञापन देने के लिए समाचारपत्रों का चयन करने हेतु मुख्य बातें निम्नलिखित है :—

(1) लक्ष्य श्रोता ;

(2) कवर किए जाने वाला क्षेत्र/भाषा ;

(3) लघु मझौले समाचारपत्रों को उपलब्ध धन;

(4) धनराशि की उपलब्धता ।

विवरण

दिल्ली से प्रकाशित उन दैनिक समाचार पत्रों के नाम जिनका विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 1977-78

1978–79, 1979–80 और 1980–81 के दौरान विज्ञापनों के लिये उपयोग किया गया।

अंग्रेजी :

1. इकानोमिक टाइम्स
2. फाइनेंसियल एक्सप्रेस
3. हिन्दुस्तान टाइम्स
4. हिन्दुस्तान टाइम्स, इवनिंग न्यूज
5. इंडियन एक्सप्रेस
6. नेशनल हेरल्ड
7. पेट्रियट
8. स्टेटसमैन (केवल 1977–78, 1978–79, 1979–80 के ही दौरान)
9. टाइम्स आफ इंडिया

हिन्दी

1 अधिकार (केवल 1977–78 के ही दौरान)
2 दूरदेश
3. हिन्दुस्तान
4. जनयुग
5. नवभारत टाइम्स
6. तरुण दल (केवल 1977–78 के ही दौरान)
7. वीर अर्जुन
8. व्यापार भारती
9. प्रताप (केवल 1978–79, 1979–80, 1980–81 के ही दौरान)
10. बंदे मातरम (केवल 1980–81 के ही दौरान)
11. सांध्य टाइम्स (केवल 1980–81 के ही दौरान)

उर्दू

1. अल जमायत
2. दावत
3. दास्ताने वतन (केवल 1977–78 के ही दौरान)
4. मिलाप
5. प्रताप
6. सवेरा
7. तेज

पंजाबी

1. जत्थेदार
2. पंथिक समाचार

संवर्गवार कर्मचारियों की संख्या

1257. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में, संवर्गवार, कितने-कितने व्यक्ति देश तथा विदेश में कार्यरत है और उनमें हरिजनों, आदिवासियों, अल्प संख्यकों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) क्या उनकी संख्या का अनुपात उनकी जनसंख्या के अनुसार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस मंत्रालय में तथा इसके अधीन कार्यरत विभिन्न समूहों के कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या दी हुई है ।